	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 7, मंगलवार, शाके 1935–मई 28, 2013 *Jyaistha 7, Tuesday, Saka 1935–May 28, 2013*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

(क-ग्रुप-II)

अधिसूचना

जयपुर, मई 28, 2013

जी.एस.आर. 14:-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा सहायक सेवा के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा संबंधी शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

भाग 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा सहायक सेवा नियम, 2013 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "समिति" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;

(घ) "विभाग" से स्कूल शिक्षा विभाग अभिप्रेत है;

(ङ) "सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग-4 में यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है;

(च) "निदेशक" से निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा अभिप्रेत है;

(छ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित किये गये नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन सेवा में के किसी पद पर नियमित चयन के आधार पर नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ञ) "सेवा" से राजस्थान शिक्षा सहायक सेवा अभिप्रेत है;

(ट) "अनुभव" जहां कहीं भी अधिमान के प्रयोजन के लिए इन नियमों में विहित हो तो उससे किसी भी राजकीय विद्यालय/राजकीय शैक्षणिक परियोजनायें अर्थात् लोक जुम्बिश परियोजना/राजीव गांधी पाठशाला/शिक्षा कर्मी बोर्ड और मदरसा बोर्ड के अधीन सूचीबद्ध मदरसा में अर्जित अनुभव अभिप्रेत है;

टिप्पण : सेवा के दौरान ऐसी अनुपस्थिति भी उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी, प्रतिनियुक्ति और ग्रीष्म अवकाश इत्यादि अधिमान के प्रयोजन के लिए अपेक्षित अनुभव की संगणना हेतु सेवा के रूप में गिनी जायेगी;

(ठ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ड) "अधिष्ठायी नियुक्ति" से इन नियमों या इन नियमों द्वारा निरसित नियम या आदेश के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में की गयी कोई नियुक्ति भी है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो; रीति

टिप्पण : इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से किये गये सम्यक् चयन के अन्तर्गत,

अर्जेण्ट / अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गयी भर्ती आयेगी।

(ढ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निर्वचन.— जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग 2
संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या.— (1) सेवा में सम्मिलित पद (पदों) का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट है।

(2) सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु सरकार —

(क) आवश्यक प्रतीत होने पर कोई भी स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किन्हीं पदों को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी ; और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय-समय पर खाली या प्रारक्षित रख सकेगी या समाप्त या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

5. सेवा का गठन.— सेवा इन नियमों के नियम 6 में अधिकथित रीति द्वारा भर्ती किये गये समस्त व्यक्तियों से गठित की जायेगी।

भाग 3

भर्ती

6. भर्ती की रीतियां.– (1) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में के पद (पदों) पर भर्ती, इन नियमों के भाग 4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी :

परन्तु किसी व्यक्ति, जिसने आपातकाल के दौरान थल सेना/वायु सेना/नौ सेना में कार्यग्रहण किया हो, की नियुक्ति, वरिष्ठता और स्थायीकरण इत्यादि ऐसे आदेशों और अनुदेशों से विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, बशर्ते कि इन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किया जाये।

7. मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/पैरा-मिलिटरी कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति.– (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, शैक्षिक अर्हताओं और सुसंगत सेवा नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा-शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन और कार्मिक विभाग की सहमति के अध्यधीन रहते हुए–

(i) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके,

(ii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके,

(iii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य, जो 01-01-1971 से

31-03-1999 तक की कालावधि के दौरान युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा गया था या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके,

भर सकेगा :

परन्तु-

(क) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(ख) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी के कार्मिक, जिसकी मृत्यु हो गयी है या जो स्थायी रूप से अशक्त हो गया है, की विधवा या बच्चे तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के कार्मिक के आश्रित को नियुक्ति केवल तब दी जायेगी जब उनमें से किसी एक ने भारत सरकार के विद्यमान संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं पा ली है।

(3) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के कार्मिक की मृत्यु के समय उसका कोई भी अन्य आश्रित केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय/राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कानूनी बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित हो तो ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी :

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं अपने लिए रोजगार चाहती है।

(4) ऐसा आश्रित इस प्रयोजन के लिए आवेदन सशस्त्र बलों के मामले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को और पैरा-मिलिटरी बलों के लिए पैरा-मिलिटरी यूनिट के कमान

अधिकारी को सम्बोधित करेगा जो उस यूनिट के प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हो जहां सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों का मृत/स्थायी रूप से अशक्त सदस्य मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के समय सेवारत था। ऐसे आवेदन पर, सामान्य भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए इस शर्त के अध्यधीन विचार किया जायेगा कि आश्रित ऐसे पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव, तथा आयु सीमा पूरी करता है और सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्हित भी है।

(5) ऐसे आश्रित का आवेदन आश्रित द्वारा रखी जाने वाली अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में आवेदन खण्ड आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि खण्ड आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति देने के लिए खण्ड आयुक्त द्वारा आवेदन, सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) आवेदन में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी:-

(i) सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम,

(ii) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के पूर्व कार्यरत था/थी,

(iii) युद्ध में हताहत या स्थायी रूप से अशक्त घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृत्यु की तारीख और स्थान;

(iv) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हता और मृतक के साथ उसका सम्बन्ध (प्रमाणपत्रों सहित)।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) "सशस्त्र बल" से संघ की थल सेना, नौ सेना और वायु सेना अभिप्रेत है;

(ख) "आश्रित" से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति का पति या पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित

पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिक/पैरा-मिलिटरी कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित थे;

टिप्पण:-दत्तक पुत्र/पुत्री से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति द्वारा उसके जीवन में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है।

(ग) "पैरा-मिलिटरी बल" से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और कोई अन्य पैरा-मिलिटरी बल अभिप्रेत है जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये;

(घ) "स्थायी रूप से अशक्त" व्यक्ति से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का अधिनियम सं. 1) में यथा-उपबंधित "नि:शक्त व्यक्ति" पद की परिभाषा के अधीन आता है।

8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा।

(2) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(3) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित पृथक्-पृथक् रोस्टरों के अनुसार की जायेंगी।

(4) किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी

उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी:

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

9. पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंध के अनुसार होगा। किसी वर्ष-विशेष में पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर लिया जायेगा।

10. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से 6 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न-विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र और उपयुक्त विधवाओं और विच्छिन्न-विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, विधवाओं और विच्छिन्न-विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां अन्य महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी और आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् महिला

अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप में समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:– विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न-विवाह महिला के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

11. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.– उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण .– उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के लिए निश्चित वर्ष में आयोग के परिक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे वे खिलाड़ी संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण:– "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने–

(i) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

या

(ii) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

या

(iii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

12. राष्ट्रीयता.– सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह,–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो; या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो; या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो; या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा, संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो:

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

13. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें.– इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु-सीमा और फीस या अन्य रियायतों सम्बन्धी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

14. रिक्तियों का अवधारण.– (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रतिवर्ष 1 अप्रेल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद इन नियमों या अनुसूची में यथाविहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उसी रीति से भरी जायेंगी।

15. आयु.– अनुसूची में प्रगणित किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम तारीख के ठीक पश्चात् आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :

परन्तु –

(i) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को –

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक;

(ख) सामान्य प्रवर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और विशेष रूप से पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक, शिथिल किया जायेगा।

(ii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था,

(iii) ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा;

(iv) कैडेट अंनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु

सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा;

(v) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने सीधी भर्ती के लिए उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे;

(vi) राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम, और पंचायत समिति तथा जिला परिषद में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी;

(vii) निर्मुक्त आपात कमिशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र हों।

(viii) रिजर्विस्ट अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी : और

(ix) विधवाओं और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न-विवाह के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा;

(x) किसी राजकीय विद्यालय/राजकीय शैक्षणिक परियोजनायें अर्थात् लोक जुम्बिश परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/ राजीव गांधी पाठशाला/शिक्षा कर्मी बोर्ड और मदरसा बोर्ड के अधीन सूचीवद्ध मदरसा के अधीन कार्यरत व्यक्ति, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होंने सीधी भर्ती के समय आयु सीमा पार कर ली हो।

16. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हता और अनुभव.– अनुसूची में प्रगणित पद के लिए सीधी भर्ती का अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखेगा:–

(i) अनुसूची के स्तम्भ 4 में दी गयी अर्हताएं और अनुभव; और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

17. चरित्र.– सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिए जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या विद्यालय से समबद्ध न हों और न उसके संबंधी हों।

टिप्पण :– (1) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में सच्चरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जायेगा और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलन से नहीं है, जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्वर्ती सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे 'पश्चात्वर्ती देखरेख गृह' के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है, पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसा गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्वर्ती देखरेख गृह में अपने पश्चात्वर्ती सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णत सुधर गये हैं। अत: नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

18. शारीरिक उपयुक्तता.- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक या शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे मामले में जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि

पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यक्षमता में कोई कमी न आयी हो।

19. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.— ऐसा अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जिनमें गड़बड की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त,—

(क) अभ्यर्थी के चयन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा,

या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

20. संयाचना.— इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नही किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष मे समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

भाग 4

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

21. आवेदन आमंत्रित करना.— सेवा में के पद (पदों) पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन निदेशक द्वारा, भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो ठीक समझी जाये, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से

मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और उस पद का वेतनमान जैसा कि विज्ञापन में अन्यत्र उल्लिखित है, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा :

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय नियुक्ति प्राधिकारी, यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

22. सीधी भर्ती की आवृत्ति.– अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती तब तक वर्ष में कम से कम एक बार की जायेगी जब तक कि सरकार यह विनिश्चय नहीं कर ले कि पदों के लिए किसी वर्ष–विशेष में सीधी भर्ती आयोजित नहीं की जायेगी।

23. आवेदन का प्ररूप.– आवेदन निदेशक द्वारा विहित प्ररूप में किया जायेगा और वह निदेशक से ऐसी फीस का संदाय करके, जो निदेशक समय–समय पर विहित करे, प्राप्त किया जा सकेगा।

24. आवेदन फीस.– सेवा में के किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी निदेशक द्वारा नियत फीस, ऐसी रीति से, जो वह उपदर्शित करे, सदत्त करेगा।

25. आवेदनों की संवीक्षा.– अनुसूची के स्तम्भ 5 में निर्दिष्ट समिति प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगी और समिति द्वारा योग्यता सूची, ऐसे अधिमान के आधार पर, जो राज्य सरकार द्वारा अनुसूची में उल्लिखित न्यूनतम अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए विनिर्दिष्ट किया जाये और ऐसे अंकों के आधार पर, जो राज्य सरकार द्वारा किसी राजकीय स्कूल/राजकीय शैक्षणिक परियोजनाएं अर्थात् लोक जुम्बिश परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/राजीव गांधी पाठशाला/शिक्षा कर्मी बोर्ड और मदरसा बोर्ड के अधीन सूचीबद्ध मदरसा में कार्यरत, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगाए गये से भिन्न, व्यक्तियों द्वारा अर्जित एक वर्ष से अधिक के अनुभव को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट किये जायें, तैयार की जायेगी।

स्पष्टीकरण : जहां परीक्षा–विशेष में अभ्यर्थी को ग्रेड प्रदान किये जाने के कारण अंकों के प्रतिशत को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, ऐसी परीक्षा में अभ्यर्थी

को प्रदान किये गये ग्रेड का माध्यक योग्यता सूची तैयार किये जाने का आधार होगा।

26. समिति की सिफारिशें.– अनुसूची के स्तम्भ 5 में निर्दिष्ट समिति ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, एक सूची तैयार करेगी, योग्यता क्रम में व्यवस्थित करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी :

परन्तु समिति विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम भी आरक्षित सूची में रख सकेगी। समिति द्वारा, अध्यपेक्षा किये जाने पर, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यता क्रम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसको मूल सूची समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जाती है, छह मास के भीतर-भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को की जा सकेगी।

27. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.– (1) कोई पुरूष/महिला अभ्यर्थी, जिसकी/जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में के पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी सिवाय उस दशा के जहां सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा:

परन्तु यह भी कि इस उप-नियम के उपबंध, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे :

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

28. **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.**– नियम 8,9,10 और 11 के उपबंधों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों का, जिनका स्थान इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 5 में निर्दिष्ट समिति द्वारा नियम 26 के अधीन तैयार की गयी सूची में योग्यता क्रम में सबसे ऊपर हो, चयन करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

भाग 5

नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

29. **सेवा में नियुक्ति.**– सेवा में के पद (पदों) पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियाँ होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, नियम 28 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यता क्रम में की जायेगी।

30. **अर्जेन्ट अस्थायी नियुक्ति.**– सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, नियुक्तियां करने के लिए सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार की अनुमति से उस पद पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो उस पद पर नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगा :

परन्तु ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रखी जायेगी।

31. वरिष्ठता.— सेवा मे के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेन्ट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी :

परन्तु किसी प्रवर्ग–विशेष में पदों पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो, किन्तु, जिन्होंने आदेश जारी होने की तारीख से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर या यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसे विस्तरित किया गया हो तो उससे अधिक अवधि के भीतर सेवा ग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम नियम 26 के अधीन तैयार की गयी सूची में रखे गये हैं:

32. परिवीक्षा की कालावधि.— (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा:

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

33. परिवीक्षा के दौरान वेतन.— सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन– प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दरों पर मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा :

परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित कर्मचारियों को परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थियों के रूप में सेवा के दौरान उस पद के विद्यमान वेतनमान में उसके स्वयं के वेतनमान में परिलब्धियाँ या नये पद का नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए लाभप्रद हो, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

34. कतिपय मामलों में स्थायीकरण.— (1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में के किसी पद पर अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को,

जिसे इन नियमों के अधीन नियमित भर्ती के पश्चात् दो वर्ष के परिवीक्षाकाल की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात् छह मास की कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह स्थायी माने जाने का हकदार होगा, यदि –

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता,

(ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता हो; और

(iii) विभाग में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और अन्य किन्हीं नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो, बढाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवोन्मुक्त किये या हटा दिये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह उस अधिष्ठायी या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवाकाल के दौरान संसूचित न किये गये हों।

(4) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी सेवा पुस्तिका और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण – (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से इन नियमों के अधीन नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति अभिप्रेत है।

(ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

35. परिवीक्षा के दौरान असंतोषप्रद प्रगति.– यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी को समुचित अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि तक बढा सकेगा।

36. स्थायीकरण.– नियम 32 के अधीन परिवीक्षा पर रखे गये किसी व्यक्ति को उसके परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और ऐसा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो जैसा कि सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे;

(ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

भाग 6

वेतन

37. वेतनमान– सेवा में के पद पर नियुक्त व्यक्ति का मासिक वेतनमान ऐसा होगा जो नियम 38 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन ग्राह्य हो या जो सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर किया जाये।

38. वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन आदि का विनियमन.– इन नियमों में यथा-उपबंधित के सिवाय सेवा के सदस्यों का वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी :–

(i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथासंशोधित;

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय-समय पर यथासंशोधित;

(iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय-समय पर यथासंशोधित;

(iv) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय-समय पर यथासंशोधित;

(v) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय-समय पर यथासंशोधित;

(Vi) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 समय-समय पर यथासंशोधित;

(vii) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय-समय पर यथासंशोधित;

(viii) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय-समय पर यथासंशोधित; और

(ix) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त कोई भी अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों।

39. शंकाओं का निराकरण.– यदि इन नियमों के लागू होने और व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका, उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

40. निरसन और व्यावृत्तियां.– इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित समस्त नियम और आदेश, जो इन नियमों का प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

41. *नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.*– अपवाद सापेक्ष मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग को यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग की सहमति से आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबन्धों से, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी, परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से ही अन्तर्विष्ट उपबन्धों से कम अनुकूल नहीं होगा।

अनुसूची

क्र. स.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद पर सीधी भर्ती के लिए सिफारिश करने वाली समिति	अभ्युक्ति
1	शिक्षा सहायक	100% सीधी भर्ती द्वारा	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से सैकण्डरी या उसके समतुल्य।	1 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) 2. अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) 3. कलक्टर का नामनिर्देशिती जो तहसीलदार से अनिम्न रैंक का हो।	–

[संख्या प.2(1)डीओपी/क-2/13]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार यादव,
संयुक्त शासन सचिव।